तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **मकनसिंह बनाम सुमेरसिंह, वगैरह मुकदमा संख्या:–150 / 2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
25.11.2024	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा बिजरोल खेड़ा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 361 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 362 रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी के भाईयों का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में से खेत खसरा संख्या 362 रकबा 1.15 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों की पैतृक है तथा खसरा संख्या 362 रकबा 0.72 हैक्टेयर खरीदसुदा आराजी है जिसे प्रार्थी द्वारा तुलछा, रामु पिसरान सुरजन से जरिये बेचान दस्तावेज के क्रय की थी। क्रय की तिथि से आज दिन तक मौके पर कब्जा काश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। दिनांक 25.06.2011 को अप्रार्थीगण सभी हाथों में लाठीयां व धारीयां लेकर उक्त खरीदसुदा, कब्जासुदा व पैतृक आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश हुए एवं माठ तोड़ने लगे, उन्हें रोकने की कोशिश की तो अप्रार्थीगण मरने मारने पर उतारू हो गए तथा प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि उक्त आराजी दो दिन के भीतर खाली कर देना एवं हमें सुपुर्द कर देना वरना तुम्हें जान से मारे बिना नहीं छोड़ेंगे तथा डण्डे के बल पर उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे जबकि अप्रार्थीगण को खातेदारी भूमि से बेदखल करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा उक्त आराजी पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी ने खातेदारी भूमि पर खाद वगैरह डालकर उपजाउ बनाया है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी को उक्त खातेदारी आराजी से बिना किसी विधिसम्मत तरीके से बेदखल किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन द्रव्य में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया वांके सरहद बिजरोल खेड़ा के वर्तमान खसरा संख्या 361 रकबा 0.72 हैक्टेयर आयी हुई है किनतु यह भूमि तुलछा, रामू पिसरान सुरजन की कतई नहीं थी। उक्त खेत खसरा संख्या 361 पुराने खेत खसरा संख्या 278 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा में से सृजित किया गया है। ... भूमि खसरा संख्या 361 रकबा 0.72 हैक्टेयर तुलछा रामु पिसरान सुरजन से प्रार्थी मकनसिंह ने हमसे भूमि जबरन ह... खरीदी है। काश्त एवं कब्जा लगातार अप्रार्थीगण सुमेरसिंह आदि का ही होने से तथा भूमि पर कई अर्से से हम अप्रार्थीगण का होने से उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन होने से हमें अतिक्री कहने का प्रार्थी कतई अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तथा न ही प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना ही है तो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जबकि वादग्रस्त आराजी हमारी भूमि है, हम रेकॉर्डेड खातेदार है तथा कब्जा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:33:12 IST
Reason: SelfAttested

हम अप्रार्थीगण का है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्तनीय है अतः खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– **आदेश** :–

अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी भौतिक रूप से मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:33:12 IST
Reason: SelfAttested